प्रकरण सं:- 21/2025 शैलेन्द्र सिंह / विपिन्द्र सिंह

10.02.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अपराधित की बाद / अपम तामिल नोटिस / सम्मन प्रप्त। प्रार्थी को सख्त हिदायत दी जाती है कि अपराधित की दूरभाष तामील हेतु दो दिवस की सम्भावित में सम्मन मय तलबपेश करें। नोटिस / सम्मन पेश होने पर प्रार्थी के खर्चे पर संबंधित थाना के लिए जारी करें। पत्रावली वास्ते तलबी अग्रिम दिनांक 18.02.2026 को पेश हो।

दिव्या कलक्टर
[illegible]

18.02.2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपराधित की दूरभाष तामील हेतु सम्मन तलबपेश नहीं किए गए। प्रार्थी पक्ष को अपराधित के सम्मन तलबपेश करने हेतु पूर्व में कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा सम्मन तलबपेश नहीं किए गए। लिहाजा यह प्रकरण प्रार्थना पत्र संगत धारा 156 (3) दं.प्र.सं. के अधीन प्रार्थी / प्रार्थी अधिवक्ता की उदासीनता में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुदा रजिस्टर संख्या से कम रजिस्टर दाखिल दफ्तर करें।

दिव्या कलक्टर
[illegible]